



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 15.09.2025

थाना खेकडा पर पंजीकृत मुकदमों से सम्बन्धित शराब व विस्फोटक पदार्थ
विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में।

कार्यवाही-

दिनांक 15.09.2025 को
माननीय न्यायालय के
आदेशानुसार थाना
खेकडा पर वर्ष 2025 के
आबकारी अधिनियम
तथा विस्फोटक पदार्थ
अधिनियम के माल को
क्षेत्राधिकारी खेकडा,



नायब तहसीलदार खेकडा, प्रभारी निरीक्षक खेकडा की उपस्थिति में
बडागाँव नहर पर जेसीबी से 10 फीट गड्ढा खुदवाकर कुल अवैध शराब
684 लीटर व कुल अवैध पटाखे वजन करीब 770 किलो ग्राम के
विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी है।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना महिला थाना बागपत दिनांक 15.09.2025

थाना महिला थाना बागपत पुलिस ने वारंटी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

|

संक्षिप्त विवरण:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना महिला थाना बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मनव्वर पुत्र याकूब निवासी मदीना कालोनी सरवट रोड जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री विनय कुमार महिला थाना बागपत
2- म0है0का0 699 प्रीति महिला थाना बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 15.09.2025

बागपत पुलिस ने 27 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 27 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1- कृष्ण पुत्र जगमाल निवासी ग्राम खटटा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

2-इकबाल पुत्र नूरदीन निवासी असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

3- राहिल पुत्र छोटा निवासी असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

4- पिन्टू पुत्र जसवीर निवासी बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

5- जसवीर पुत्र सलेटी निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

6- राजा पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

7- सोनू पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

8-नवीन पुत्र नरेश निवासी वार्ड न0 8 सुभाषनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

9-सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत ।



- 10-जोगेन्द्र पुत्र जगदीश निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 11-अनीस पुत्र अकबर निवासी बडी मस्जिद के पास निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 12-मंयक पुत्र दीपक निवासी न्यू राम नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 13-नौशाद पुत्र सलाम निवासी कौताना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 14-अजय उर्फ मोटा पुत्र तेजराम उर्फ तेजपाल निवसी मौ0 शान्ति नगर पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 15-अर्जुन उर्फ राहुल उर्फ जंगली पुत्र स्व0 अनिल निवासी वार्ड नं0 04 कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 16- प्रवीण पुत्र पीतम निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 17-जीते उर्फ जितेन्द्र पुत्र सन्ते निवासी मौ0 अम्बेडकरनगर अग्रवाल मण्डी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 18- वीरेन्द्र सिंह पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 19- मोनू पुत्र वीरेन्द्र ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 20-बिहू पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 21-सावन पुत्र ब्रह्मपाल उर्फ साधु निवासी ग्राम काठा थाना को0बागपत जनपद बागपत।
- 22-काला पुत्र रसीद निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 23- राजन पुत्र रामवीर निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 24-कालू पुत्र अनिल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 25- घोलू पुत्र लखन निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 26- टोनी पुत्र नरेश निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 27-इकबाल पुत्र बशीर निवासी ग्राम मौहल्ला मनहारन कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 2-थाना रमाला पुलिस टीम । (06 वारंटी)
- 3-थाना खेकडा पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 4-थाना दोघट पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 5-थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 6-थाना बडौत पुलिस टीम । (04 वारंटी)
- 7-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (12 वारंटी)
- 8-थाना बिनौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-15.09.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 HF Deluxe बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.25 को थाना बडौत पर आवेदक सुखपाल पुत्र रामकिशन निवासी मोहल्ला किदवई नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने मय हमराही अमरदीप पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मोहन पुत्र नामलूम निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके पुत्र सोनू उम्र करीब 30 वर्ष की घर से ले जाकर बावली नहर की पश्चमी पटरी मछली तालाब के पास जंगल ग्राम बावली में गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार



पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट:—उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1.रोहित पुत्र रामप्रसाद 2.सोनू उर्फ काली बहू पुत्र विनोद निवासीगण खोब्बा पट्टी ग्राम बाबली थाना बडौत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये तथा धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं दोनों अभियुक्तों को दिनांक 12-09-2025 को बाद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 HF Deluxe बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल---उक्त अभियुक्त को दिनांक 15-09-2025 को समय 20.59 बजे शनि देव मन्दिर के पास चौकी मण्डी से चौकी बिनौली रोड बाईपास पर थाना बडौत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहन पुत्र पप्पू कश्यप निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत। **(घायल अवस्था में)**

नोट-उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 HF Deluxe बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहन का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 606/25 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री निकलेख रस्तौगी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री मुकेशपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 6-का0 तरुण कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 7-का0 पंकज थाना बड़ौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 15-09-2025

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने गुंडा एकट में जिलाबदर हुए 01 अभियुक्त की
ग्राम वासियों के बीच मुनादी कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद में सक्रिय अभ्यस्त अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई। अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध जिला बदर आदेश की तामील हेतु ग्राम सिंघावली अहीर में ढोल नगाड़े के साथ मुनादी करायी गयी।



अभियुक्त का नाम पता-

हर्ष पुत्र महेश निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

मुनादी कराने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-है0का0 764 अमित सैनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-का0 395 ललित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-का0 296 भूपेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।